The field staff of the Government are keeping a constant check and vigil on the quality of vanaspati being produced in the country. The State Governments have also been alerted to draw samples from the market, analyse them and take appropriate action under PFA Act.

Introduction of Land Acquistion Amendment Bill

1902. SHRI UTTAM RATHOD : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Land Acquisition Amendment Bill was introduced in the House and later on withdrawn ;

(b) whether it is also a fact that there is great discontent among land holders whose lands have been acquired for public purposes with meagre compensation ; and

(c) if so, action Government propose to take in the matter ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) : (a) A bill to amend the Land Acquisition Act, 1894 (Bill No. 67 of 1982) was introduced in the Lok Sabha on April 30, 1982. It has not been withdrawn.

(b) and (c) Representations have been received from time to time that some land owners consider the compensation payable to them under the Land Acquisition Act as inadequate. This is being examined.

Bogus Agents for Delhi Lotteries

1903. SHRI RAJESH KUMAR SINGH : SHRI NAWAL KISHORE SHARMA :

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some DDA officials are involved in appointing bogus agents for the Delhi Lotteries and have pocketed huge sums ; and

(b) if so, the details thereof stating the result of the inquiry conducted by Government in the matter and the action taken thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी के लेखों की लेखा परीक्षा

1904. **श्री अनवर अहमद** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लिमेटिड ने 1975 से अपने वार्षिक लेखों को उनकी लेखा परीक्षा किसी पंजीकृत लेखाकार से कराकर अनुमोदन के लिए अपनी जनरल बाडी के समक्ष प्रस्तुत किया है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है कि जनरल बाडी के सामने लेखापरीक्षा लेखे प्रस्तुत किये जायें तथा जब तक लेखों का अनुमोदन न हो जाय तब तक प्रबन्ध समिति इस सोसायटी के धन को खर्च न करे ;

(ख) क्या पंजीकार, सहकारी समिति ने इस सोसायटी के लेखों की लेखा परीक्षा पंजीकृत लेखाकारों से कराने के बजाए लेखा परीक्षकों से कराई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; तथा लेखों की पंजीकृत लेखाकारों से लेखापरीक्षित कराने के बाद जनरल बाडी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) क्या इस सोसायटी की प्रबन्ध समिति के चुनाव 1975 से नहीं कराए गए हैं, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में कब कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) इस समिति की आम सभा करने का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है । इसलिए, समिति का वार्षिक लेखा जोखा जनरल बाडी के प्रस्तुत करने के मौके का प्रश्न ही नहीं उठा ।

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार विद्यमान प्रबन्ध समिति द्वारा व्यय